न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी— राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
51/2024	05.04.2024	13.06.2024

अनवान

1. हेमा पुत्र देवा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र गोपु जाति खटीक आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. अमरचन्द पुत्र कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्यारचन्द पुत्र मोतीलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—
   4/1— जगदीशचन्द्र पुत्र प्यारचन्द जाति खटीक आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रामा पुत्र सोराम जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—
   5/1— हरलाल पिता रामा जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   5/2— नारायण पिता रामा जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. अम्बालाल पुत्र उंकारलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. उंकारलाल पुत्र प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. मांगीलाल पुत्र प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. शंकर लाल पुत्र लालु जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. रतन सिंह पुत्र लालु सिंह जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. लादुलाल पुत्र माधुलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. बंशीलाल पुत्र उंकारलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला चित्तौडगढ।

14. भेरी पत्नी लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. नारायण लाल पुत्र भुरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय–
    15/1– कमली बाई पुत्री नारायण लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. भंवरीबाई पत्नी मांगु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. महिपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. विक्रमसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– प्रार्थी स्वयं	प्रार्थी
एकतरफा	अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चाकुडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 357, 685, 404, 845, 684 मीन, 686 मीन, 687, 693 मीन, 872/37 कृषि भूमि प्रार्थी के सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 14.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 6 से 12, 14, 16, 17, 18 तथा दिनांक 06.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 4, 5, 15 के वारिसान व अप्रार्थी संख्या 13 के विरूद्ध बावजूद तामील के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा चाकुडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 357, 685, 404, 845, 684 मीन, 686 मीन, 687, 693 मीन, 872/37 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested